राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 01/दौसा/2002-2003

यह प्रमाणित किया जाता है कि कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर जिला दौसा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक आठ माह अप्रैल सन् ~~एक हजार नौ सौ~~ 2002 को दौसा में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
संस्थाएं दौसा

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

सचिव

कौशल्या देवी शिक्षा समिति

मण्डावर, दौसा (राज०)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनु[illegible] इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी मे सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते [illegible]
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा [illegible] अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर इन[illegible] व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों [illegible] प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन नि[illegible] सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

[illegible] पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान [illegible] कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रस[illegible] स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्[illegible] या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृति[illegible] [illegible] के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, [illegible] या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां

---

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 ([illegible]) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करके उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्ररूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाने। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. ग्रामीण क्षेत्र की आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।

20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है [illegible] और [illegible] आश्रित हो तथा [illegible]

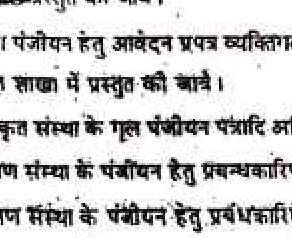

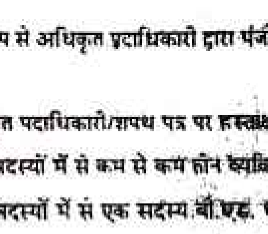

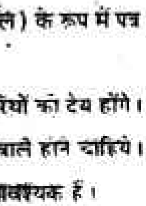

22. सं[illegible] संस्था शाखा प्र[illegible] [illegible]

23. अ[illegible] निर्धारित [illegible] [illegible] जाने के उपरान्त [illegible]

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

कौशल्या देवी शिक्षा समिति .... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम कौशल्या देवी ~~बालिका महाविद्यालय~~ शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कौशल्या देवी ~~बालिका महाविद्यालय~~ शिक्षा समिति हास्पीटल रोड मण्डावर (दौसा) है

तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1 - शिक्षा नीति एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों को [illegible] करते हुये सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। एवं शिक्षण - प्रशिक्षण के लिये [illegible] पुस्तक, कार्यशाला एवं साहित्य सामग्री तैयार करना। एवं इस क्षेत्र में प्रयोग अनुसंधान करना। शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिये प्राथमिक माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनीकि एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में संस्थाये स्थापित करना

2 - समाज के विकास के लिये आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन, एवं प्रकाशन करना एवं सभी प्रकार की सृजनात्मक एवं आर.एस.सी. प्रतियोगिता [illegible] कार्य करना

3 - प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना।

4 - विभिन्न खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

गंगा सहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश [illegible]
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

10 राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. [illegible] पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक [illegible] प्रमाणित [illegible] चाहिये।

14. ([illegible] हल्के, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी [illegible] सदस्य होने चाहिये।

15. [illegible] आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र [illegible] प्रस्तुत की जावे।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक है।

20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका कि प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को [illegible]कारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से [illegible]

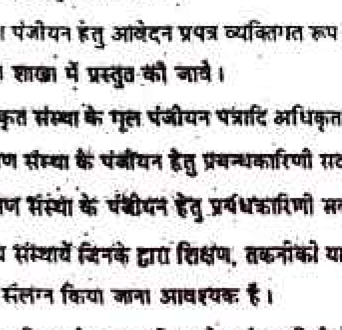

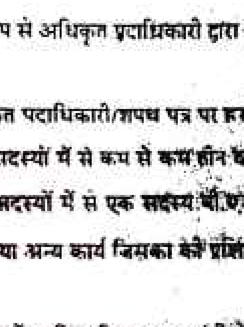

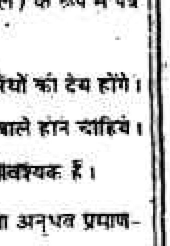

22 [illegible] सामान्य शाखा प्र[illegible]

23 [illegible] निर्धारित [illegible]

[illegible] जाने के उपरान्त

सचिव

[illegible] देवी शिक्षा समिति

कौशल्या देवी शिक्षा समिति ...... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम ~~कौशल्या देवी बालिका महाविद्यालय~~ शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था के नाम से होगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय कौशल्या देवी ~~बालिका महाविद्यालय~~ शिक्षा समिति हरसी(?) मण्डावर (दौसा) है

तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था का उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. ... शिक्षा नीति एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों को ...त करते हुये सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान ... एवं शिक्षा - प्रशिक्षण के लिये शिक्षक, कार्यकर्ता एवं साहित्य सामग्री तैयार करना। एवं इस क्षेत्र में प्रयोग अनुसंधान करना। शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिये प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा तथा तकनीकि एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में संस्थाये स्थापित करना

2 - समाज के विकास के लिये आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन, एवं प्रकाशन करना एवं सभी प्रकार की जनोपयोगी एवं आवश्यक प्रवृतियों का संचालन एवं कार्य करना।

3 - प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना।

4 - विभिन्न खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

जगमोहन शर्मा (?)	मीरा शर्मा	मुकेश... (?)
अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5 छात्रावासों, वाचनालय, पुस्तकालय का संचालन करना

6 महिलाओं एवं बच्चों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास को प्रतिपादन करना एवं उनके विकास के लिये व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व अन्य समस्याओं के समाधान के लिये सार्थक प्रयास करना, प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं प्रबन्ध हेतु समुचित व्यवस्था, विकलांग, मूक बधिर, असहाय, अनाथ एवं पिछड़े बच्चों के लिये ... कार्य, कार्यक्रमों का निर्माण, प्रबन्ध एवं संचालन करना जिससे सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके।

7- संस्था के कार्य क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकि सहित व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करने एवं उसकी उन्नति के लिये प्राथमिक, माध्यमिक महाविद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, मैडीकल, डेन्टल, बी.फार्मा, शारीरिक शिक्षा, एवं अन्य सभी ... एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना

8 वे सभी कार्य करना जो संस्था के ... उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

...
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री गंगा सहाय शर्मा S/o [illegible] शर्मा	समाज सेवा	सन्तानन्द कॉलोनी मण्डावर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती माया शर्मा W/o [illegible] शर्मा	"	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	उपाध्यक्ष
3.	[illegible] शर्मा S/o [illegible] शर्मा	शिक्षक	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	~~सचिव~~ ~~व्यवस्थापक~~ उपमंत्री
4.	श्रीमती मीरा शर्मा W/o योगेश चन्द शर्मा	समाज सेविका	टेलीफोन एक्सचेंज के पास मण्डावर	~~[illegible]~~ सचिव
5.	श्री मुकेश बिहारी शर्मा S/o श्री गंगा सहाय शर्मा	निजी व्यवसाय	चरखी चौराहा मण्डावर	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती रेखा शर्मा W/o अमित शर्मा	शिक्षाविद	सन्तानन्द कॉलोनी मण्डावर	सह कोषाध्यक्ष
7.	श्री युगल किशोर सैनी S/o कन्हैयालाल सैनी	कृषि	माली मोहल्ला मण्डावर	सदस्य
8.	" अमर चन्द मीणा S/o श्री रतन लाल मीणा	कृषि	बनावड़ रोड मण्डावर	"
9.	उर्मिला शर्मा W/o वि[illegible] दत्त शर्मा	समाज सेविका	टेलीफोन एक्सचेंज के पास मण्डावर	"

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश बिहारी

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. छात्रावासों, वाचनालय, पुस्तकालय का संचालन करना

6. महिलाओं एवं बच्चों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास को प्रोत्साहन करना एवं उनके विकास के लिये व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व अन्य समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक प्रयास करना, प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं [illegible] हेतु समुचित व्यवस्था [illegible] भी करना एवं विकलांग, मूक, असहाय [illegible] एवं निराश्रित बच्चों के लिये [illegible] कार्यक्रमों का निर्माण, प्रचार एवं संचालन करना जिससे सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके।

7. संस्था के कार्य क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकि सहित व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करने एवं उसकी उन्नति के लिये प्राथमिक, माध्यमिक महाविद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, मैडिकल, डेन्टल, बी.फार्मा, [illegible] शारीरिक शिक्षा, एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना

8. वे सभी कार्य करना जो संस्था के निबन्धन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

गंगासहाय शर्मा — अध्यक्ष | [illegible] शर्मा — मन्त्री | [illegible] — कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्रीमती शारदा शर्मा W/o श्री दिलीप कु. शर्मा	समाज सेविका	पावर हाउस मण्डावर	स
11.	दौलत सिंह S/o श्री निरंजन सिंह	कृषि	हो स्पीटल मण्डावर	स
12.				
13.				
14.				
15.				

गंगा सहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

सुरेश बिहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री गंगा सहाय शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा	समाज सेवी	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	गंगासहाय
2.	श्रीमती माया शर्मा पत्नी श्री [illegible] दत्त शर्मा	समाज सेविका	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	मायाशर्मा
3.	[illegible] दत्त शर्मा पुत्र श्री [illegible] दत्त शर्मा	शिक्षाविद	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	[illegible]
4.	श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री [illegible] चन्द शर्मा	समाज सेविका	टेली फोन एक्सचेंज के पास मण्डावर	मीरा
5.	श्री मुकेश बिहारी शर्मा पुत्र गंगा सहाय शर्मा	निजी व्यवसाय	चरखी रगिया मण्डावर जिला - दौसा	मुकेश बि
6.	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी अमित शर्मा	शिक्षाविद	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर जिला दौसा	रेखा
7.	श्री जुगल किशोर सैनी पुत्र कन्हैयालाल सैनी	कृषि	माली मोहल्ला मण्डावर (दौसा)	जुगल
8.	" अमरचन्द मीना पुत्र रघुनाथ मीना	कृषि	बनावड़ [illegible] जिला - दौसा	अमर
9.	उर्मिला शर्मा पत्नी श्री बिजेन्द्र दत्त शर्मा	समाज सेविका	टेली फोन एक्सचेंज के पास मण्डावर (दौसा)	उर्मिल

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश बि
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्रीमती शारदा शर्मा W/o श्री दिलीप कु. शर्मा	समाज सेविका	पावर हाउस मण्डावर	५
11.	दौलत सिंह S/o श्री निरंजन सिंह	कृषि	डी. [illegible] मण्डावर	५
12.				
13.				
14.				
15.				

गंगा सहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

मुकेश [illegible] बिहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. हम निम्न हस्ताक्षरवर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री गंगा सहाय शर्मा पुत्र नारायण शर्मा	समाज सेवी	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर	गंगासहाय
2.	श्रीमती माया शर्मा पत्नी [illegible] दत्त शर्मा	समाज सेविका	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	मायाशर्मा
3.	[illegible] दत्त शर्मा पुत्र [illegible] दत्त शर्मा	शिक्षाविद	हॉस्पीटल रोड मण्डावर	[illegible]
4.	श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री योगेश चन्द शर्मा	समाज सेविका	टेली फोन एक्सचेंज के पास मण्डावर	मीरा श
5	श्री मुकेश बिहारी शर्मा पुत्र गंगा सहाय शर्मा	निजी व्यवसाय	चरखी राठिया मण्डावर जिला - दौसा	मुकेश बि
6.	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी अमित शर्मा	शिक्षाविद	सतानन्द कॉलोनी मण्डावर जिला - दौसा	रेखा
7.	श्री युगल किशोर सैनी पुत्र कन्हैया लाल सैनी	कृषि	माली मौहल्ला मण्डावर (दौसा)	युगल
8.	" अमर चन्द मीना पुत्र [illegible] मीना	कृषि	[illegible] जिला - दौसा	अमर [illegible]
9.	उर्मिला शर्मा पत्नी श्री विजेन्द्र दत्त शर्मा	समाज सेविका	टेली फोन एक्सचेंज के पास मण्डावर (दौसा)	उर्मिला

गंगासहायशर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश बि
कोषाध्य

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्रीमती शारदा शर्मा w/o श्री दिलीप कु.	राजकीय शिक्षिका (प्रधान. प. स. महवा)	पारवर रोड मण्डावर जिला दौसा	शारदा
11.	श्री दौलत सिंह s/o [illegible]	कृषि	हॉस्पिटल रोड मण्डावर जिला दौसा	दौलत सिंह
12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा s/o श्री गंगासहाय शर्मा	निजी व्यवसाय	आगरा फाटक के पास मण्डावर (दौसा)	राजेन्द्र प्रसाद
13.	श्री खेम राज शर्मा s/o श्री बाबू लाल	निजी व्यवसाय	सनातन कॉलोनी मण्डावर (दौसा)	खेम राज
14.	श्री नन्हे बाबू सोनी s/o रामेश्वर दयाल सोनी	मेडिकल स्टोर	सुनार कॉलोनी मण्डावर जिला दौसा	नन्हे सोनी
15.	श्री बाबूलाल s/o श्री मौजी राम	सरकारी सेवा	गढ़ रोड मण्डावर (दौसा)	बाबूलाल
16.	श्री हरि किशन बैरवा s/o श्री सुख राम बैरवा	निजी व्यवसाय	कुम्हार कॉलोनी मण्डावर (दौसा)	हरिकिशन बैरवा
17.	महेश बंसल s/o सुरेश चन्द बंसल	निजी व्यवसाय	पुराना बस स्टेण्ड मण्डावर (दौसा)	महेश बंसल
18.	श्री अखिलेश कुमार s/o श्री गंगासहाय शर्मा	व्यवसाय	चरखी खोईया मण्डावर (दौसा)	अखिलेश कुमार शर्मा

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मंत्री

मुकेश तिवारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ता
19	जितेन्द्र कुमार शर्मा S/o श्री उम्मेदी लाल	एडवो. कोर्ट	एडवोकेट डी.जे. कोर्ट - महुवा	जितेन्द्र
20	[illegible] दिलीप कुमार शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा	मेडीकल स्टोर	पास्वर रोड मण्डावर जिला- दौसा	[illegible]
21	[illegible] शर्मा S/o श्री शिवदत्त शर्मा	शिक्षा विद	गढ़ हिम्मत सिंह तह. महवा (दौसा)	[illegible]
22				
23.				
24				
25.				
26.				
27				

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

[illegible]
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
[illegible] दौसा (राज०)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	[illegible]
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37				
38	०१/दौसा/2002-2003 कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर सर्व विधान पत्र			
39	09.4.2012			
40				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी) (साक्षी)

1. हस्ताक्षर 2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

वरिष्ठ ... प्रभारी मण्डावर जिला दौसा

IDENTIFIED BY

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

फोटो प्रति प्रमाणित ... के अनुसार है।
हस्ताक्षर पढ़ने वाले ...
हस्ताक्षर ...
नकल ...

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.	01/दौसा/2002-2003 कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर			
39	सचिव प्रिवाल पेश 09.4.2032			
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे सामने अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

IDENTIFIED BY

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय हॉस्पिटल रोड मण्डावर राजस्थान है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. 1 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ... शिक्षा के सिद्धान्तों को अंगीकार करते हुये सभी वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना
2. एवं विषय - वस्तु के लिये शैक्षिक कार्यकर्ता एवं साहित्य सामग्री तैयार करना एवं इस क्षेत्र में प्रयोग
3. अनुसन्धान करना, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्राथमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनीकि एवं चिकित्सा आदि के क्षेत्र में संस्थायें स्थापित करना
4. 2. समाज के विकास के लिए आवश्यक साहित्य का सृजन सम्पादन एवं प्रकाशन करना एवं सभी प्रकार की सृजनात्मक एवं आवश्यक प्रवृत्तियों का संचालन एवं कार्य करना
6. 3. प्रदूषण नियन्त्रण एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना।
4. विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

श्यामसुन्दर शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुरेश बिहारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

5. छात्रावासों, वाचनालयों, पुस्तकालय का संचालन करना।

6. महिलाओं एवं बच्चों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास को गति प्रदान करना। एवं उनके विकास के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सार्थक प्रयास करना और शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं प्रबन्ध हेतु समुचित व्यवस्था तथा कामकाजी महिलाओं एवं विकलांग, वृद्ध, असहाय निराश्रित बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी [illegible] निर्माण प्रबन्ध एवं संचालन करना जिससे सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके।

7. शिक्षा के कार्य क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकि सहित व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करने एवं उसकी उन्नति के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, मैडिकल, डेन्टल, बी-फार्मा, डी-फार्मा, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

8. वे सभी कार्य करना जो संस्थान के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ती में सहायक हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

मुकेश [illegible]

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- वालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ट

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि......	वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ट	राशि......501/......	वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय	राशि......201/......	वार्षिक
4-साधारण	राशि......101/......	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... [illegible] की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :-	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :-	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पारित करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद लागू होगा।
10. साधारण सभा की बैठकें :-	1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर तब 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

11\. कार्यकारिणी का गठन :- संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1\. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3\. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5\. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4+2 पदाधिकारी व 7 सदस्य कुल ग्यारह सदस्य होंगे।

12\. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13\. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

ओ.रा. शर्मा
मन्त्री

मुकेश मोदी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी साधारण सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
दौसा (राज०)

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखा पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :--

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

गौरीशंकर शर्मा
मन्त्री

सुरेश तिवारी

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

17. कोष सम्बन्धी वित्तीय अधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1-अध्यक्ष 5000/- रु.

2-मन्त्री 3000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 2000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं दौसा को संस्था के रकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) कौशल्या देवी ~~बालिका~~ ~~माध्यमिक विद्यालय~~ ~~दौसा~~ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुरेन्द्र तिवारी
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष गंगासहाय शर्मा — नं. 1/दौसा/2002-2003 मीरा शर्मा
मन्त्री
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
रजिस्ट्रार संस्थाएं
दौसा
13-5-2002

सुरेन्द्र तिवारी
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

शपथ–पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था कौशल्या देवी शिक्षा समिति, मण्डावर के सशपथ पूर्वक घोषणा करते है कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं. के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुरेन्द्र शर्मा
कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें .... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुरेन्द्र शर्मा
कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

गंगासहाय शर्मा
अध्यक्ष

मीरा शर्मा
मन्त्री

सुरेन्द्र शर्मा
कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ घोषणा करते हैं कि:

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. .... दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... की सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

गंगासहाय शर्मा — अध्यक्ष | मीरा शर्मा — मंत्री | मुकेश किरारी — कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

गंगासहाय शर्मा — अध्यक्ष | मीरा शर्मा — मंत्री | मुकेश किरारी — कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

गंगासहाय शर्मा — अध्यक्ष | मीरा शर्मा — मंत्री | मुकेश किरारी — कोषाध्यक्ष

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
......, दौसा (राज०)

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।

4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

सचिव
कौशल्या देवी शिक्षा समिति
मण्डावर, दौसा (राज०)